पत्र व्यवहार "कुलसचिव" को संबोधित किया जाये किसी अधिकारी के व्यक्तिगत नाम से नही । पूर्व सन्दर्भ यदि हो तो, देना आवश्यक है अन्यथा कोई कार्यवाही संभव नहीं होगी ।

दूरभाष : 2527532
तार : युनिव्हर्सिटी
फेक्स : 0731–529540

देवी अहिल्या विश्वविद्यालय, इन्दौर

विश्वविद्यालय भवन
इन्दौर – 452 001

दिनांक [illegible] FEB 2026

क्र. शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2025 / 335

प्रति,

प्राचार्य / संचालक,
एक्रोपोलिस इंस्टिट्युट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज एण्ड रिसर्च,
इन्दौर बायपास रोड, मांगलिया चौराहा,
इन्दौर।

विषयः– महाविद्यालय को विभिन्न पाठ्यक्रमों की अस्थाई सम्बद्धता निरन्तरता शैक्षणिक सत्र 2025–26 के लिये प्रदान करने विषयक।

सन्दर्भः आपका पत्र क्र./ए.आई.एम.एस.आर./सम्बद्धता/2025/1447 दिनांक 27/03/2025 एवं पत्र दिनांक 13/10/2025

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत आपके आवेदन के संदर्भ में विद्या परिषद् की स्थाई समिति की बैठक दिनांक 02/05/2025 एवं कार्यपरिषद् की बैठक दिनांक 09/05/2025 में लिये गये निर्णयानुसार महाविद्यालय की शैक्षणिक सत्र 2025–26 में निम्नानुसार पाठ्यक्रमों की सशर्त अस्थाई सम्बद्धता निरंतरता जारी है:–

क्र.	महाविद्यालय में संचालित पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या
1	बी.कॉम.	60
2	बी.कॉम. (टेक्स प्रोसिजर कॉमर्स विषय के साथ)	60
3	बी.कॉम. (कम्प्यूटर एप्लीकेशन कॉमर्स विषय के साथ)	60
4	बी.एससी. (कम्प्युटर साइंस अति. विषय के साथ)	60
5	बी.बी.ए.	420
6	बी.सी.ए.	120
7	बी.एससी. (बायोटेक्नालॉजी, केमेस्ट्री, कम्प्युटर साइंस)	60
8	बी.ए. (अर्थशास्त्र, अंग्रेजी, मनोविज्ञान)	60
9	बी.एससी. (बॉयोटेक्नालॉजी, केमेस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजी)	60
10	बी.एससी. (फार्मास्युटिकल केमेस्ट्री, केमेस्ट्री, बॉयोटेक्नालॉजी)	60
11	एम.कॉम.	30
12	एम.एससी. (कम्प्युटर साईंस)	30
13	एम.एससी. (बायोटेक्नालॉजी)	30
14	एम.ए. (अंग्रेजी)	30

निर्देशः–

1. ए.आई.सी.टी.ई. नई दिल्ली के मापदण्डों का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
2. परीक्षा कार्य में असहयोग करने वाले महाविद्यालयों को आगामी सत्र में निरंतरता/नवीनीकरण करने पर विचार नहीं किया जायेगा।
3. महाविद्यालय के आकस्मिक निरीक्षण में यदि पाया जाता है कि यू.जी.सी./ए.आई.सी.टी.ई. के मापदण्ड अनुरूप छात्र संख्या अनुसार शिक्षकों की नियुक्ति परिनियम 28 के अन्तर्गत नहीं की गई है तो सम्बद्धता समाप्ति की कार्यवाही की जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व महाविद्यालय/संस्था का होगा।
4. विश्वविद्यालय परिनियम क्रं.27 एवं 28 का पूर्ण पालन सुनिश्चित किया जावें।
5. महाविद्यालय ऑल इण्डिया सर्वे आन हायर एज्युकेशन **aishe.gov.in**के पोर्टल पर महाविद्यालय से संबंधित सभी जानकारी आवश्यक रूप से अपलोड करें।
6. सुरक्षा की दृष्टि से महाविद्यालय का सम्पूर्ण परिसर **CCTV** कैमरों की निगरानी में हो तथा निर्धारित संख्या में मान्यता प्राप्त सुरक्षा एजेंसी के सुरक्षा कर्मियों की तैनाती की जाना सुनिश्चित करें।

आदेशानुसार,

कुलसचिव

पृ.क्र.शैक्षणिक / सम्बद्धता / 2025 / 335

दिनांक [illegible] FEB 2026

प्रतिलिपिः–